भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3926

जिसका उत्तर दिनांक 17.07.2019 को दिया जाना है

उपयोग किए गए ईंधन का भण्डारण

3926. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (केकेएनपीपी) में अब तक उपयोग किए जा चुके रेडियो एक्टिव परमाणु ईंधन के भण्डारण की सुविधा स्थापित नहीं की है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा केकेएनपीपी में शीघ्रातिशीघ्र उपयोग किए जा चुके परमाणु ईंधन के सुरक्षित भण्डारण हेतु 'रिएक्टर से दूर सुविधा' स्थापित करने हेतु क्या ताजा कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) नाभिकीय विद्युत संयंत्र में भुक्तशेष (प्रयुक्त) ईंधन के भंडारण की योजना एक दोहरी योजना है । भुक्तशेष ईंधन का भंडारण करने के लिए प्रथम स्थल रिएक्टर बिल्डिंग/सेवा बिल्डिंग के अंदर स्थित होता है जिसे सामान्यत: भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल/ताल के नाम से जाना जाता है और दूसरी भंडारण सुविधा, रिएक्टर से दूर, संयंत्र परिसर के अंदर स्थित होती है जिसे 'रिएक्टर से दूर' (एएफआर) भुक्तशेष ईंधन भंडारण सुविधा कहा जाता है । जब भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल/ताल की क्षमता का पूर्ण उपयोग हो जाता है, तब भुक्तशेष ईंधन को एएफआर में शिफ्ट कर दिया जाता है । इस प्रकार, इसकी आवश्यकता, नाभिकीय संयंत्र प्रचालन के पहले दिन से ही नहीं होती बल्कि, जब इसकी आवश्यकता होती है तब इसे स्थापित किया जा सकता है । कुडनकुलम यूनिट 1 तथा 2 में भुक्तशेष ईंधन, वर्तमान में रिएक्टर बिल्डिंग में स्थित 'भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल' में भंडारित किया जा रहा है और अब, स्थल पर एएफआर का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) वर्तमान में, एएफआर सुविधा स्थापित करने के लिए सांविधिक पर्यावरण क्लिअरेन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है । सभी सांविधिक और नियामक क्लिअरेन्स प्राप्त करने के बाद, एएफआर का निर्माण आरम्भ किया जाएगा ।

* * * * * * *